ऑन लाईन नं.GCMS2023/236

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 87/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रामदयाल अग्रवाल पुत्र श्री देशराज अग्रवाल **—खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक—**
मै0 रामदेव अशोक कुमार/रामदयाल अशोक कुमार नगरपालिका के सामने लालगढ़ जाटान, सादुलशहर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक :18.10.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक सं./एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 18.08.2011 के द्वारा अधिकृत किया गया। एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः—संस्था/एफएसएसए/2021/258 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया और श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.10.2021 को समय 11.00 बजे मैसर्स रामेदव अशोक कुमार/रामदयाल अशोक कुमार नगरपालिका के सामने लालगढ़ जाटान, सादुलशहर पर पहुंचे, मौके पर **श्री रामदयाल अग्रवाल पुत्र श्री देशराज अग्रवाल (विक्रेता व मालिक)** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **सूजी(अम्बिका गोल्ड ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अंदर 500—500 ग्राम के 40 पैकेट **सूजी(अम्बिका गोल्ड ब्राण्ड)** को आमजन के बेचाने वास्ते होना बताया। **सूजी(अम्बिका गोल्ड ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **सूजी(अम्बिका गोल्ड ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान ने व तात्कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **सूजी(अम्बिका गोल्ड ब्राण्ड)** 500 ग्राम के चार पैकेट को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **सूजी(अम्बिका गोल्ड ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 120/—

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.) ★

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और तात्कालिन अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री रामदयाल अग्रवाल पुत्र श्री देशराज अग्रवाल** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री रामदयाल अग्रवाल** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सूजी(अम्बिका गोल्ड ब्राण्ड) 500 ग्राम के** चारों **मूल** पैकेट पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1222** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1222** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता/मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री रामदयाल अग्रवाल पुत्र श्री देशराज अग्रवाल** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./409/Act/2022/399 Dated 10.11.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1222 Sub-standard Food** होना पाया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्त/खा. सु.औ.नि./स.सी/2023/3096 दिनांक 02.08.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी हंसराज गोदारा को प्रकरण संस्थित करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **रामदयाल अग्रवाल पुत्र श्री देशराज अग्रवाल, मैसर्स रामदेव अशोक कुमार/रामदयाल अशोक कुमार नगरपालिका के सामने लालगढ़ जाटान, ब्लॉक सादुलशहर** द्वारा अमानक स्तर का **सूजी(अम्बिका गोल्ड ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सूजी(अम्बिका गोल्ड ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1222** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–L.S./409/Act/2023/399 Dated 10-11-2021 द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त सुजी में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनो हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया ! पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Suji(Ambica Gold)" bearing Code No and Sr. No. K-1222, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not comform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Reguklations, 2011** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **रामदयाल अग्रवाल पुत्र श्री देशराज अग्रवाल** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **रामदयाल अग्रवाल पुत्र श्री देशराज अग्रवाल** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000–00 **(अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त **रामदयाल अग्रवाल पुत्र श्री देशराज अग्रवाल** को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा०)
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर